कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/उप नि.(प्र)/निजी/कर्मयोगी मिशन iGOT/ 2024/ दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा।
प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर/अजमेर।
प्रधानाचार्य, राजकीय सादुल स्पोटर्स स्कूल।

विषयः– राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी के लिये मिशन कर्मयोगी अन्तर्गत iGOT Portal पर शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करने, और विभिन्न कोर्सेज पूर्ण करने के संदर्भ में।

प्रसंग – शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक F. 34(4)/EDU-1/2024-13892 जयपुर दिनांक 22.11.2024 एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग क्रमांकः प(2)प्रसु/सम/अनु–1/2024 जयपुर, दिनांकः 22.11.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्माण क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिसके तहत iGOT पर HCM राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए राजस्थान राज्य सिविल सेवकों के लिए PAHAL फाउंडेशनल प्रोग्राम को पूरा करना अनिवार्य है। उक्त फाउंडेशनल प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित कोर्सेज को शामिल किया गया है–

1. Yoga Break at Workplace
2. Heart in Governance
3. Introduction to Emerging Technologies
4. Code of Conduct for Government Employees
5. Overview of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
6. Overview of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
7. Overview of BNSS, 2023 for Field Practitioners, 2023
8. Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace.

अतः सभी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा IGOT Portal पर अपने स्वयं तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित

RajKaj Ref No.: 12218030

करते हुए उक्त 08 कोर्सेज को पूर्ण करवाने हेतु पाबंद करावें ताकि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

उपनिदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

01. शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
04. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
05. अनुभाग अधिकारी, मॉनिटरिंग अनुभाग कार्यालय हाजा को अनौपचारिक टिप्पणी दिनांक 28.11.2024 के संबंध में सूचनार्थ।
06. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने बाबत।
07. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

उपनिदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

———————

क्रमांकः F. 34(4)/EDU-1/2024-13892 जयपुर, दिनांक : As in E-sign

1. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, मिड–डे–मील, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
7. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
10. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
11. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर, जयपुर।
13. राज्य सचिव, राजस्थान स्टेट भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स, जयपुर।

विषय :– मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.2024 को Committee of Secretaries (COS) की बैठक कार्यवाही विवरण की क्रियान्विति किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.–1) विभाग की अशा.टीप क्रमांकः प.8(2)/ प्रसु/ सम/ अनु–1 /2024 दिनांकः 22.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्रानुसार दिनांक 21.11.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित Committee of Secretaries (COS) की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों में आपके विभाग/अनुभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना एवं की गई कार्यवाही की सूचना आगामी Committee of Secretaries (COS) की बैठक तक विभाग की **ई–मेल आईडीः–**DS1EDU@RAJASTHAN.GOV.IN पर soft copy एवं PDF में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः बैठक कार्यवाही विवरण।

भवदीय,

(मनीष गोयल)
आई.ए.एस.
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव/ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप– 2, 5) विभाग।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), विभाग।
5. विशेषाधिकारी शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 11963549

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग

क्रमांकः प.8(2)प्रसु/सम/अनु–1/2024 जयपुर, दिनांकः 22.11.2024

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.2024 को अपराह्न 12:00 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर में CoS समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अति0 मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगण उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार द्वारा राज्य में प्रस्तावित समीक्षा बैठक में विद्युत, नवीनीकरणीय ऊर्जा, खनन, परिवहन, सड़क, मेट्रो आदि सेक्टर्स की भारत सरकार की अवसंरचना योजनाओं की प्रगति के संबंध में गहन समीक्षा की जावेगी। उक्त बैठक में नगरीय विकास, स्थानीय निकाय, खान, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, राजस्व, वन व पर्यावरण इत्यादि विभागों के प्रशासनिक सचिवगण विभाग की विशेष उपलब्धियों तथा भारत सरकार से संबंधित मुद्दों के संबंध में पूर्ण तैयारी किया जाना सुनिश्चित करें।
2. सभी प्रशासनिक सचिवगण मिशन कर्मयोगी iGOT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और कोर्सेज में नियमित भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही विशिष्ट शासन सचिव, संयुक्त/उप शासन सचिवगण, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने, एनरोल करने और विभिन्न कोर्सेज पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
3. कार्मिक विभाग द्वारा आगामी समीक्षा बैठक में अपने प्रस्तुतिकरण में iGOT पोर्टल पर उच्च अधिकारियों/विभागाध्यक्षों के रजिस्ट्रेशन, कोर्सेज में भागीदारी व राज्य में शीर्ष 5 पॉपुलर कोर्सेज के प्रस्तुतिकरण को भी सम्मिलित किया जावें।
4. संविधान दिवस (26 नवंबर), भारत रतन स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती तथा सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों/कार्यवाहियों के संबंध में सभी संबंधित विभाग आवश्यक पूर्व तैयारियां यथासमय सुनिश्चित करें। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त क्रम में संबंधित विभागों को दिशा–निर्देश जारी करते हुए विभागों से अपेक्षित कार्यवाहियों व कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग फॉर्मेट तैयार कर नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावे।
5. संविधान दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर सभी विभागों की वेबसाइट्स पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदर्शित की जावे।
6. पीएम प्रगति के अंतर्गत सम्मिलित भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न मुद्दों का शीघ्र निस्तारण कर योजनाओं को लक्ष्यानुरूप गति दी जावे। पीएम सूर्यघर मुफ्त

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल–ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट–www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141-2385069

RajKaj Ref No.: 11947286

बिजली योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना की पृथक से समीक्षा किए जाने के संबंध में आयोजना विभाग को निर्देश दिए गए।

7. केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं को अधिकाधिक लाभार्थियों तक पहुॅचाने व भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रमोशनल विडियो/स्टोरी साझा करने, फीड़बैक लिए जाने व बेबसाइट/सोशल साईट्स पर अपलोड़ करने के निर्देश दिए गए।
8. प्रस्तावित/प्रक्रियाधीन नीतियों को शीघ्र अंतिम रूप देते हुए केबिनेट नोट का प्रारूप तैयार कर आगामी केबिनेट बैठक में अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत कर देवें।
9. सभी विभाग टाईमलाईन प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
10. राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12–14 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु जिला प्रभारी सचिवगण (जयपुर मुख्यालय पर विभाग के आयोजन वाले प्रभारी सचिवों के अतिरिक्त) को अपने प्रभार वाले जिलों में उपस्थित रहते हुए कार्यक्रमों/आयोजनों में भागीदारी तथा पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
11. सभी विभाग ई–पत्रावलियों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें तथा औसत ई–फाइल निस्तारण समय में अपेक्षित सुधार किया जावे।
12. सभी प्रशासनिक सचिवगण द्वारा अधीनस्थ विभागों व राजकीय कार्यालयों/संस्थानों का नियमित औचक निरीक्षण कर कार्यालयों/विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति, अनुशासन व राजकार्य/प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण की मॉनिटरिंग की जावे।

आगामी बैठक में उक्त एजेण्डा की प्रथमतः समीक्षा की जावेगी।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(उर्मिला राजोरिया)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. आरक्षित प्रति।

शासन सचिव

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल–ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट–www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660